



उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय UTTARAKHAND AYURVEDA UNIVERSITY

(उत्तराखण्ड सरकार का स्वायत्तशासी निकाय; विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)
(An Autonomous body of Uttarakhand Government; registered u/s 2(f) of UGC Act, 1956; Member of AIL)
रेलवे रोड, हरवाला, देहरादून (उत्तराखण्ड) – 248001
Railway Road, Harrawala, Dehradun (UK) - 248001

Phone : +91-135-2685993; Fax : +91-135-2685124; Email : uttarakhandayurved@gmail.com; Website : www.uau.ac.in;

संख्या : 470 / उ0आ0वि0 / परीक्षा / 2021

दिनांक : 16 फरवरी 2021

कार्यालय-आदेश

विश्वविद्यालय के परिसरो एवं निजी संस्थानों की बी0ए0एम0एस0 बैच 2019 प्रथम व्यवसायिक की मुख्य परीक्षा तथा अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की पूरक परीक्षा की समय-सारणी घोषित की जाती है:-

बी0ए0एम0एस0 प्रथम व्यवसायिक बैच 2019 की मुख्य परीक्षा एवं अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की पूरक परीक्षा का कार्यक्रम निम्नवत है:-

समय :- पूर्वाह्न: 10:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक

क्र०स०	विषय	प्रश्न-पत्र	सैद्धान्तिक परीक्षा	
			दिनांक	दिवस
1.	पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास	प्रथम प्रश्न-पत्र	08.03.2021	सोमवार
		द्वितीय प्रश्न-पत्र	12.03.2021	शुक्रवार
2.	मौलिक सिद्धान्त एवं अष्टांग हृदय	—	15.03.2021	सोमवार
3.	क्रिया-शारीर	प्रथम प्रश्न-पत्र	17.03.2021	बुधवार
		द्वितीय प्रश्न-पत्र	19.03.2021	शुक्रवार
4.	रचना-शारीर	प्रथम प्रश्न-पत्र	22.03.2021	सोमवार
		द्वितीय प्रश्न-पत्र	24.03.2021	बुधवार
5.	संस्कृत	—	26.03.2021	शुक्रवार

परीक्षा सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश:-

उक्त परीक्षाओं के परीक्षा शुल्क एवं परीक्षा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 25.02.2021 है।

- विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसरो/निजी संस्थानों के निदेशक/प्राचार्य प्रश्नगत परीक्षा हेतु अधीक्षक होंगे एवं सम्बन्धित संस्थान एवं परिसर उक्त परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र होंगे।
- केन्द्र अधीक्षक/पर्यवेक्षक का यह दायित्व होगा कि प्रश्नगत परीक्षा नकल विहीन तथा शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पादित कराई जाये।
- कक्ष निरीक्षको द्वारा परीक्षा समाप्ति के उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि परीक्षार्थियों ने उत्तर-पुस्तिका में कोई निशान/अनुक्रमांक/कोई अन्य सामग्री आदि न अंकित की/चस्पा की हो।

(Handwritten signature)

4. विश्वविद्यालय द्वारा जारी नामांकन सूची के आधार पर ही छात्र/छात्राओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है।
5. भारत सरकार, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा जारी कोविड-19 हेतु जारी दिशा निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाना अनिवार्य होगा।
6. भारत सरकार/सी०सी०आई०एम० नई दिल्ली द्वारा जारी 07 नवम्बर 2016 में जारी आदेश के अनुसार छात्र/छात्राओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जायेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी परिसर निदेशक एवं संस्थानों के प्राचार्य की होगी।
7. उक्त समय-सारणी से सम्बन्धित परीक्षार्थियों को अवगत कराना सुनिश्चित करे।

प्र० उत्तम कुमार शर्मा
परीक्षा नियन्त्रक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
2. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसरो/निजी संस्थानों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. गार्ड फाईल।

प्र० उत्तम कुमार शर्मा
परीक्षा नियन्त्रक